भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3768

दिनांक 17 मार्च, 2020 के लिए प्रश्न

मत्स्यपालन क्षेत्र में बीमा

3768. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डीः

श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत के मत्स्य क्षेत्र में कृषि के अन्य उप-क्षेत्रों की तुलना में बीमा के उपयोग का स्तर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार तालाब की मछलियों, समुद्री पिंजरों, मछलियों को नुकसान और मछली कामगारों को बीमा प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री प्रताप चन्द्र सारंगी)

(क) से (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मत्स्य विभाग के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) से (घ): वर्तमान में, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित योजना नीली क्रांति : मात्स्यिकी का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन के घटक राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अनुज्ञप्ति प्राप्त / पंजीकृत सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सक्रिय सरकारों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रंधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ किया जा रहा है। इस योजना में मिलने वाले बीमा कवरेज के रूप में (i) 2.00 लाख रूपये मृत्यु या पूर्ण अपंगता (ii) 1.00 लाख रुपये आंशिक स्थाई अपंगता शामिल है। इसके अतिरिक्त , वर्तमान केंद्रीय प्रायोजित योजना में तालाब मछली, समुद्री पिजरों की क्षति और मत्स्य उत्पाद के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

******